निर्माण और आवास मन्त्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आई० कं० गुजराल) (क) 1971 72 वर्ष के दौरान श्रीनिवासपुरी और विनय नगर (सरोजिनी नगर) म उप-किरायेदारी की 25 शिकायते प्राप्त हुई थी। इनमे म 15 शिकायते गुमनाम-छद्मनाम थी तथा एक मामले मे उप-किरायेदारी प्रमाणित नही हो सका। केवल एक मामले मे उप-किरायेदारी प्रमाणित हुई तथा सरकारी कर्मचारी सरकारी वास स वंचित कर दिया गया। 8 मामलो की अभी जाच हो रही है।

(ख) सरकारी कर्मचारी जिसे सामान्य पूल से आवास आवटित है उप-किरायेदार को दिये गये भाग का उचित किराया लेकर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्र वर्ग के व्यक्ति के साथ शेयर कर सकता है। यदि निवास स्थान किसी अन्य आधार पर शेयर किया जाता है या पूर्णतया उप-किरायेदारी पर दिया जाता है तो आवटी के विरुद्ध आवटन नियमो व दण्डात्मक उपबन्धो के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(ग) उप-किरायेदारी के अपराध को रोकने हेतु सम्पदा निदेशालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियो द्वारा सरकारी कालोनियो की समय-समय पर जाँच की जाती है। इसके अतिरिक्त, लोगो से प्राप्त शिकायतो पर कार्यवाही की जाती है।

ट्रैक्टरों की बुकिंग और सप्लाई में अनियमिततायें रोकने के लिए कार्यवाही

5345. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर बिक्री केन्द्रो पर ट्रैक्टरो का नम्बर किसी-किसी खरीदार का तीन-तीन वर्ष म आता है और किसी-किसी का 6 महीने मे ही आ जाता है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है और इस प्रकार की अनियमितताओ को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) . (क) और (ख). भारत सरकार ने, सितम्बर, 1971 को ट्रैक्टर (वितरण तथा विक्रय) नियन्त्रण आदेश, 1971 घोषित किया है। नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत ट्रैक्टरो का वितरण, उन मामलो के अतिरिक्त जिनमे नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत नियुक्त नियंत्रक के कोई अन्य आदेश न हो, व्यापारियो द्वारा अपने पंजीकरण के आधार पर किया जाता है। क्रेताओ को ट्रैक्टर विक्रय की जाने वाली अवधि, ट्रैक्टरो के विभिन्न मेको की लोकप्रियता/माग तथा उनकी उपलब्धि पर निर्भर करती है। कुछ आयातित ट्रैक्टर सप्लाई के लिये शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि किसी को किसी विशेष मेक के लिये, जिसकी काफी माग है, काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पडती है। ट्रैक्टर नियंत्रण आदेश का उद्देश्य झूठे आदेशो की बुकिंग तथा ऐसे अन्य भ्रष्टाचार को रोकना है, जिनकी ट्रैक्टरो के वितरण मे अब तक रिपोर्ट की गई है।

हरिजन कल्याण के लिये सत्तर प्रवेश को अनुदान

5346 श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार हरिजन कल्याण के लिये प्रत्येक राज्य को अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार को 1970-71 मे कितनी राशि दी गई और उस सरकार ने कितनी राशि का उपयोग किया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) 1970-71 के दौरान उत्तर प्रदेश मे अनुसूचित जातियो के कल्याण के लिये अनुमोदित परिव्यय और किये गये खर्च का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(रुपये लाखो मे)

	अनुमोदित परिव्यय	व्यय (प्रत्याशित)
राज्य क्षेत्र	53 00	51.88
केन्द्रीय क्षेत्र	87 00	87.00
योग	140.00	138.88

सीमापुरी दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी निवासियों की मांगें

5347. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अप्रैल, 1972 के 'नव भारत टाइम्स' मे छपे समाचार के अनुसार सीमापुरी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी निवासियों ने मांग की है कि वहां पेय जल की कमी दूर करने के लिए कोई प्रबन्ध किया जाए; और

(ख) इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) पानी की सप्लाई निम्न प्रकार से की जा रही है।

(i) कालोनी के नल-कूप से;

(ii) पास की कालोनी के नल-कूप से; तथा

(iii) हैड पम्प से।

एक अन्य नल-कूप का निर्माण-कार्य हाथ मे लिया गया है।

Space for parking Scooters in Government Colonies, New Delhi

5348 SHRIMATI MUKUL BANERJI Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state

(a) whether Government have provided some space on the ground, separately in some colonies of New Delhi for parking of scooters,

(b) if the reply to part (a) be in the affirmative, whether Government are also planning to provide the same facility in other Government colonies where it is not yet provided; and

(c) if the reply to part (b) be in the affirmative, the time by which the scheme is going to be implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.